गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, कमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act., 2009 No. 25 of 2009)

Web Site – www ggu.ac.in, ph. No. 07752-260342, fax No. 07752-260148,154

कमॉक 223 /अका./प्रवेश/2021 बिलासपुर, दिनॉक 22 OCT 2021

कार्यालयीय ज्ञाप

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित (VET) परीक्षा के परिणाम ऑन–लाईन घोषित किये गये हैं एवं प्रावीण्यता के आधार पर ऑन–लाईन प्रवेश दिये जा रहे हैं।

स्नातक स्तर के पाठ्यकमों में समूह बनाये गये हैं एवं एक समूह के पाठ्यकमों में प्रावीण्यता के आधार पर सीटों का आबंटन आवेदकों को ऑन–लाईन किया जा रहा है। यह आबंटन पूर्व प्रकिया के समान है।

सर्व सूचनार्थ निम्नानुसार जानकारी एवं व्यवस्था एतद् द्वारा जारी किया जा रहा हैः–

1. यदि किसी छात्र ने एक ग्रुप के किन्ही पाठ्यकमों के लिये आवेदन दिया है तथा अपना Choice प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि अंकित किया है, तो मेरिट के आधार पर आवेदक को उपलब्ध सीट ऑन–लाईन आबंटित किया जा रहा है।

ऑन–लाईन आबंटन उपरांत आवेदकों को पोर्टल gguonline.in पर ऑन–लाईन शुल्क जमा करने की सुविधा उपलब्ध हो जा रही है, जिससे आवेदक को ऑन–लाईन शुल्क जमा करना है।

प्रवेश प्रकिया में बने रहने के लिये या सीट प्राप्त करने के लिये आवेदकों को निर्धारित शुल्क ऑन–लाईन जमा करना आवश्यक हैं। जिन आवेदकों का नाम मेरिट के आधार पर आ जाता है और वे ऑन–लाईन शुल्क जमा नहीं करते हैं, तो यह माना जायेगा कि ऐसे आवेदक विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक नहीं हैं तथा वे प्रवेश प्रकिया से बाहर हो जायेंगे।

2. ऐसे आवेदक जिनका वांछित पाठ्यकम उन्हें नहीं मिल पाया है, परन्तु मेरिट के आधार पर कोई अन्य Choice मिल गया है,तब यदि वह शुल्क जमा कर देते हैं, तो प्रथम चरण के प्रवेश प्रकिया में सीटें रिक्त रह जाने पर शुल्क जमा किये गये आवेदकों को सॉफट–वेयर रिक्त सीटों एवं मेरिट के आधार पर आटो अपग्रेड (उनकी वरीयता निचले क्रम से ऊपर अर्थात 4 से 1 तक) करेगा एवं उन्हें अपने अन्य Choice के आधार पर जैसा आवेदन पत्र में पहले से अंकित है, मिलने की संभवना होगी । यह प्रकिया सीटों के रिक्त होने पर तथा मेरिट के आधार पर ही होगा। इसके लिये आवेदक को आवेदन नहीं देना है और न ही कोई दावा स्वीकार किया जावेगा।

ऐसे आवेदकों के जमा शुल्क दूसरे अपग्रेड पाठ्यकम में समायोजित कर दिये जायेगें। ऐसे आवेदक जिनको उनका प्रथम च्वाइस मिल चुका है उन पर उपरोक्त व्यवस्था लागू नहीं होगा।

कृपया सूचनार्थ ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति /कुलसचिव के सचिव /निज सहायक को मान.कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
2. समस्त अधिष्ठातागण, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ
4. समन्वयक, आई.टी.सेल, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं वेब पटल पर जारी करने हेतु प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (अका0)